



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 46192 वर्ष 2011

चन्द्र मोल

.....याची

बनाम

डी.डी.सी. एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: ए.के. तिवारी, वी.के. बरनवाल
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

संदर्भ: सिविल विविध प्रत्याहरण आवेदन संख्या 3 वर्ष 2026

- वर्तमान प्रत्याहरण आवेदन याची की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्तमान याची के भतीजे अखिलेश कुमार के शपथपत्र द्वारा समर्थित है, जिसमें वर्तमान रिट याचिका को प्रत्याहृत के रूप में निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
- याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार तिवारी ने निवेदन किया कि परिवर्तित परिस्थितियों में याची वर्तमान रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, अतः इसे प्रत्याहृत के रूप में निरस्त किया जाए।
- याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उक्त प्रार्थना का किसी भी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया।
- तदनुसार, प्रत्याहरण आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

संदर्भ: रिट याचिका

- उपर्युक्त दिनांकित आदेश के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका प्रत्याहृत के रूप में निरस्त की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

दिनांक : 27 फरवरी 2026

विनय

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”